(संलग्नक -8

प्रेषक,

मिशन निदेशक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी
उत्तर प्रदेश।

2. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / अधीक्षिका,
सम्बन्धित जिला पुरुष / महिला / संयुक्त चिकित्सालय,
उ0प्र0।

पत्रांक- SPMU/NHM/MIS/e-Sushrut/2024-25/151/ 1865-2 दिनांक: 04-07-2024

विषयः— वित्तीय वर्ष 2024—25 में जनपदीय चिकित्सालयों में ई—सुश्रुत परियोजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक धनराशि आवंटित किये जाने संबंधी दिशा निर्देश।

महोदय / महोदया,

भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024—25 में **Health Management Information System (HMIS)** के अन्तर्गत प्राप्त स्वीकृति के क्रम में सम्बन्धित जनपदीय चिकित्सालयों तथा तहसील स्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु आवश्यक मदों (Broad Band Internet recurring charges and Administrative expenses) में धनराशि माह अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक की अवधि हेतु जनपदवार फॉट के अनुसार सम्बन्धित जनपदों को डैप के माध्यम से आवंटित की गयी है, जिसे मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा यथाशीघ्र सम्बन्धित चिकित्सालय को स्थानान्तरित की जानी है। उक्त धनराशि का व्यय DHAP 2024-25 में **195.4 HMIS implementation(e-Sushrut) in 479 units** के अन्तर्गत सम्बन्धित जनपदों द्वारा प्रेषित किया जायेगा।

ई—सुश्रुत परियोजना क्रियान्वयन हेतु जनपद / ब्लॉक स्तर पर स्थापित कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरणों के संचालनार्थ प्रशासनिक व्यय यथा स्टेशनरी, टोनर कार्ट्रिज इत्यादि तथा ऑनलाइन ई—सुश्रुत सॉफ्टवेयर के संचालन हेतु इन्टरनेट लीजलाइन कनेक्शन एवं / अथवा ब्रॉडबैण्ड इन्टरनेट कनेक्शन के वार्षिक व्यय हेतु 408 इकाइयो हेतु निम्नानुसार आवश्यक धनराशि जनपदों को आवंटित की गयी है।

Sl.	Facility type	No. of units Go-live	Budget proposed for Broadband connection for FY 2024-25	Budget proposed for LL connection for FY 2024-25	Budget proposed for Admin. Expenses for FY 2024-25	Budget proposed for FY 2024-25.	Total budget proposed for FY 2024-25 (Rs in Lacs)
1	2	3	4	5	6	7	8 (Col 3 X Col. 7)
1.	District Hospital	90	Rs. 0.60 lacs	Rs. 3.00 lacs	Rs. 2.00 lacs	**Rs. 5.60 lacs**	504.00
2.	District Hospital functional as Medical College	22	Rs. 0.60 lacs	Rs. 3.00 lacs	Rs. 2.00 lacs	**Rs. 5.60 lacs**	123.20
3.	Community Health Center	296	Rs. 0.24 lacs	-	Rs. 1.00 lacs	**Rs. 1.24 lacs**	367.04
	Total	**408**					994.24

उपरोक्त मानकानुसार वित्तीय वर्ष 2024—25 (माह अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक की अवधि) हेतु **195.4 - HMIS implementation (e-Sushrut) in 479 units** के अन्तर्गत सम्बन्धित जनपदों को डैप के माध्यम से धनराशि आवंटित की गयी है। विवरण निम्नवत है—

FMR Code- 195.4 - HMIS implementation (e-Sushrut) in 479 units

Sl.	District	DHs implementing e-Sushrut HMIS application till date	Budget allocated for DHs [@ Rs 5.60 Lacs/DH]	CHCs implementing e-Sushrut HMIS application till date	Budget allocated for CHCs [@ Rs 1.24 Lacs/CHC]	Total budget to be allocated to District
1	AGRA	-	0	6	744000	744000
2	ALIGARH	2	1120000	5	620000	1740000
3	AMBEDKAR NAGAR	1	560000	5	620000	1180000
4	AMETHI	-	0	4	496000	496000
5	AMROHA	2	1120000	4	496000	1616000

Sl.	District	DHs implementing e-Sushrut HMIS application till date	Budget allocated for DHs [@ Rs 5.60 Lacs/DH]	CHCs implementing e-Sushrut HMIS application till date	Budget allocated for CHCs [@ Rs 1.24 Lacs/CHC]	Total budget to be allocated to District
6	AURAIYA	2	1120000	3	372000	1492000
7	AYODHYA	2	1120000	5	620000	1740000
8	AZAMGARH	2	1120000	8	992000	2112000
9	BAGHPAT	1	560000	3	372000	932000
10	**BAHRAICH**	0	0	1	124000	124000
11	BALLIA	2	1120000	1	124000	1244000
12	BALRAMPUR	3	1680000	3	372000	2052000
13	BANDA	1	560000	4	496000	1056000
14	BARABANKI	3	1680000	6	744000	2424000
15	BAREILLY	1	560000	6	744000	1304000
16	BASTI	0	0	0	0	0
17	BHADOHI	2	1120000	3	372000	1492000
18	BIJNOR	2	1120000	5	620000	1740000
19	BUDAUN	2	1120000	5	620000	1740000
20	BULANDSHAHR	4	2240000	1	124000	2364000
21	CHANDAULI	4	2240000	5	620000	2860000
22	CHITRAKOOT	1	560000	4	496000	1056000
23	**DEORIA**	0	0	3	372000	372000
24	**ETAH**	0	0	3	372000	372000
25	ETAWAH	1	560000	6	744000	1304000
26	FARRUKHABAD	1	560000	3	372000	932000
27	**FATEHPUR**	0	0	3	372000	372000
28	**FIROZABAD**	1	560000	5	620000	1180000
29	GAUTAM BUDDHA NAGAR	1	560000	3	372000	932000
30	GHAZIABAD	3	1680000	3	372000	2052000
31	GHAZIPUR	2	1120000	7	868000	1988000
32	GONDA	1	560000	4	496000	1056000
33	GORAKHPUR	1	560000	1	124000	684000
34	HAMIRPUR	2	1120000	2	248000	1368000
35	HAPUR	1	560000	3	372000	932000
36	**HARDOI**	1	560000	2	248000	808000
37	HATHRAS	2	1120000	4	496000	1616000
38	JALAUN	2	1120000	3	372000	1492000
39	JAUNPUR	2	1120000	6	744000	1864000
40	JHANSI	1	560000	5	620000	1180000
41	KANNAUJ	2	1120000	3	372000	1492000
42	KANPUR DEHAT	2	1120000	5	620000	1740000
43	KANPUR NAGAR	1	560000	4	496000	1056000
44	Kasganj	1	560000	2	248000	808000
45	KAUSHAMBI	1	560000	3	372000	932000
46	KHERI	2	1120000	7	868000	1988000
47	KUSHI NAGAR	1	560000	6	744000	1304000
48	LALITPUR	2	1120000	3	372000	1492000
49	LUCKNOW	4	2240000	5	620000	2860000
50	MAHARAJGANJ	1	560000	4	496000	1056000
51	MAHOBA	2	1120000	3	372000	1492000
52	MAINPURI	2	1120000	6	744000	1864000
53	MATHURA	3	1680000	5	620000	2300000
54	MAU	2	1120000	3	372000	1492000
55	MEERUT	1	560000	3	372000	932000
56	**MIRZAPUR**	0	0	4	496000	496000
57	MORADABAD	1	560000	4	496000	1056000
58	MUZAFFARNAGAR	2	1120000	4	496000	1616000
59	PILIBHIT	2	1120000	5	620000	1740000
60	**PRATAPGARH**	2	1120000	4	496000	1616000
61	PRAYAGRAJ	1	560000	8	992000	1552000
62	RAE BARELI	2	1120000	4	496000	1616000

Sl.	District	DHs implementing e-Sushrut HMIS application till date	Budget allocated for DHs [@ Rs 5.60 Lacs/DH]	CHCs implementing e-Sushrut HMIS application till date	Budget allocated for CHCs [@ Rs 1.24 Lacs/CHC]	Total budget to be allocated to District
63	RAMPUR	2	1120000	5	620000	**1740000**
64	SAHARANPUR	1	560000	5	620000	**1180000**
65	SAMBHAL	1	560000	3	372000	**932000**
66	SANT KABEER NAGAR	1	560000	3	372000	**932000**
67	**SHAHJAHANPUR**	0	0	4	496000	**496000**
68	SHAMLI	1	560000	3	372000	**932000**
69	SHRAVASTI	1	560000	0	0	**560000**
70	**SIDDHARTH NAGAR**	1	560000	4	496000	**1056000**
71	SITAPUR	2	1120000	7	868000	**1988000**
72	**SONBHADRA**	1	560000	0	0	**560000**
73	SULTANPUR	2	1120000	5	620000	**1740000**
74	UNNAO	2	1120000	6	744000	**1864000**
75	VARANASI	1	560000	3	372000	**932000**
	Grand Total	**112**	**62720000**	**296**	**36704000**	**99424000**

कृपया उक्त मानको के अनुसार ई–सुश्रुत परियोजना क्रियान्वयन हेतु स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार व्यय **एफ0एम0आर0 कोड संख्या 195.4 - HMIS implementation (e-Sushrut) in 479 units** से किया जाना एवं डेप के सापेक्ष व्यय विवरण एफ0ए0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से ससमय प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

व्यय सम्बन्धी विस्तृत दिशा–निर्देशः

उक्त धनराशियों का व्यय "आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट" में दी गयी व्यवस्था तथा अन्य प्रभावी सगत नियमों एवं निर्देशों का पालन करते हुये सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त करके ही किया जाय। निम्न निर्देशों का अनिवार्यतः पालन सुनिश्चित करें।

1. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नही करता, अपितु ऑपरेशनल गाइडलाइन फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेन्ट में दी गयी व्यवस्था, वित्तीय नियमों, शासनादेशों, अन्य प्रभावी नियमो/निर्देशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जाये। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये।
2. स्वीकृत मद का पुनर्विनियोग (re-appropriation) राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश की अनुमति के बिना कदापि न किया जाये। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि एक कार्यक्रम की धनराशि दूसरे कार्यक्रमों में स्थानान्तरित न की जायें। धनराशि के व्यय में यदि कोई अनियमितता होती है तो इसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
3. जिला स्वास्थ्य समित एवं समस्त इकाइयों के वित्तीय अभिलेख कैशबुक, बैंक बुक, लेजर, चैक इश्यू रजिस्टर, स्थायी सम्पत्तियों का रजिस्टर आदि लेखापुस्तकों में सभी प्रविष्टियाँ समय से पूर्ण करायें साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी करना सुनिश्चित करें।
4. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहे।
5. आपके स्तर से समस्त इकाइयों को अग्रिम के रूप मे अवमुक्त की गयी धनराशियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए अपनी लेखापुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।
6. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों मे प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।
7. व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियाँ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्त मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटयूरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
8. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये आपरेशनल गाइडलाइन्स फॉर फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट (अद्यावधिक सशोधित) में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रक्रिया का पालन समस्त स्तरो पर किया जाना सुनिश्चित करें।
9. भारत के नियंत्रक/महालेखा परीक्षा द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के परफारमेन्स आडिट रिपोर्ट में उठाई गयी मुख्य आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव, महोदय उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अन्तर्गत गठित समिति की दिनांक

01.06.2012 को सम्पन्न हुई बैठक में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों की प्रति पत्र संख्या SPMU/NRHM/ACCOUNT/490-8 दिनांक 13.06.2012 के द्वारा करायी गयी है, को संज्ञान में लेना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त के क्रम में योजना का क्रियान्वयन प्रत्येक स्तर पर सुनिश्चित किया जाये। नियमों का पालन न करने एवं वित्तीय अभिलेखों का रख-रखाव ठीक न होने के कारण यदि धनराशि का व्यय नियमानुसार नहीं पाया जाता है या अन्य कोई वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आती है तो इसके लिये सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

भवदीय,

Priloy 24

(डा0 पिंकी जोवल)
मिशन निदेशक

पत्रांक- SPMU/NHM/MIS/e-Sushrut/2024-25/151/ तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, को सादर सूचनार्थ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य महानिदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
4. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, उ0प्र0।
5. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
6. समस्त मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, एन0एच0एम0 उ0प्र0।
7. समस्त जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक, जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, एन0एच0एम0 उ0प्र0।

(एम0पी0 यादव)
महाप्रबन्धक- एम0आई0एस0